भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 891

07 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

†891. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त योजनाओं को लागू करते समय निर्धारित और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उपरोक्त योजनाओं को लागू करते समय कोई खामियां मिलीं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन खामियों को किस प्रकार से दूर किया गया;

(ङ) क्या उपरोक्त किसी भी योजना में समय और लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू नहीं करता है। मंत्रालय, अपने तीन मुख्य विभागों नामत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) विषयक कई केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

डीएसटी देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में प्रधान भूमिका निभाता है। डीएसटी के कार्यक्रमों को निम्नलिखित छत्र योजनाओं के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है:

i. एस एंड टी संस्थागत और मानव क्षमता वर्धन
ii. अनुसंधान और विकास
iii. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन
iv. राष्ट्रीय एकाधिक ज्ञानशाखागत साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन

डीबीटी तेलंगाना सहित अखिल भारतीय स्तर पर दो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं अर्थात् 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास' योजना और 'औद्योगिक और उद्यमी विकास' योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

डीएसआईआर औद्योगिक अनुसंधान और विकास (आईआरडी) योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, अर्थात् व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई (पीआरआईएसएम) में नवोन्मेष संवर्धन, पेटेंट अर्जन और सहयोगशील अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पीएसीई), औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और सामान्य अनुसंधान सुविधावर्धन (बर्ड-सीआरएफ) और प्रौद्योगिकी विकासक और प्रसारक ज्ञान तक पहुंच (ए 2 के +)।

(ख) से (ग): तेलंगाना राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत, जारी और प्रयुक्त निधियों का विवरण और साथ ही पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

छत्र योजना का नाम	**स्वीकृत/जारी/प्रयुक्त निधियां (करोड़ रुपए में)**						**निर्धारित और प्राप्त वास्तविक लक्ष्य**
	वि. व. **2018-19**	वि. व. **2019-20**	वि. व. **2020-21**	वि. व. **2021-22**	वि. व. **2022-23**	वि. व. **2023-24**	
क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग							
i. अनुसंधान और विकास	41.49	52.77	41.35	33.85	24.67	29.15	नीति आयोग के उत्पाद-परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओ. ओ. एम. एफ.) के अनुसार प्राप्त वास्तविक लक्ष्य (लिंकः https://dmeo.gov.in/index.php/output-outcome-framework)
ii. एस एंड टी संस्थागत और मानव क्षमता वर्धन	6.95	4.88	4.43	4.30	2.63	2.72	
iii. नवोन्मेष प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	84.68	52.69	40.97	42.1	38.44	31.60	
iv. राष्ट्रीय एकाधिक ज्ञान शाखागत साइबर भौतिक प्रणाली मिशन	0.0	0.05	26	0.0	37.38	55.70	
कुल (क)	**133.12**	**110.39**	**112.75**	**80.5**	**103.12**	**119.17**	
ख. जैव प्रौद्योगिकी विभाग							
i. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	50.02	104.65	44.83	94.24	7.02	9.54	नीति आयोग के उत्पाद-परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओ. ओ. एम. एफ.) के अनुसार प्राप्त
ii. औद्योगिक और उद्यमिता विकास	0.38	0.0	26.50	134.81	121.05	52.21	

कुल (ख)	**50.4**	**104.65**	**71.33**	**229.05**	**128.07**	**61.75**	वास्तविक लक्ष्य (लिंकः https://dmeo.gov.in/index.php/output-outcome-framework)
ग. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग							
i. व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई (प्रिज्म) में नवोन्मेष संवर्धन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38	0.0	नीति आयोग के उत्पाद-परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओ. ओ. एम. एफ.) के अनुसार हासिल किए गए भौतिक लक्ष्य (लिंकः https://dmeo.gov.in/index.php/output-outcome-framework)
ii. पेटेंट अर्जन और सहयोगशील अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पीएसीई)	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
iii. प्रौद्योगिकी विकासक और प्रसारक ज्ञान तक पहुंच (A2K+)	0.0	0.0	0.0	0.21	0.01	0.07	
कुल (ग)	**0.32**	**0.0**	**0.0**	**0.21**	**0.39**	**0.07**	
कुल योग (क+ख+ग)	**183.82**	**215.04**	**184.08**	**309.51**	**231.58**	**180.99**	

(घ) सरकार ने उपरोक्त योजनाओं को लागू करते समय कोई बड़ी कमी नहीं पाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समय-समय पर निगरानी मूल्यांकन और निगरानी ढांचे के जिसमें परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए संकेतक होते हैं, माध्यम से की जाती है।

(ङ) से (च): विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित उपर्युक्त योजनाएं चल रही योजनाएं हैं, और इनके समय और लागत में कोई वृद्धि आज तक नहीं हुई है।

*****